फैक्स/मेल

PWD Uttarakhand

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com **Web-http://govt.ua.nic.in/pwd**

पत्रांक 100/64 व्यख (सर्कुलर) सा0/15 देहरादून, दिनांक 25 फरवरी, 2015

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :– सेवा–सम्बन्धी प्रकरणों के ससमय निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों/मृतक कार्मिकों के सेवा–सम्बन्धी पेंशन प्रकरणों एवं अन्य देयकों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा बार–बार कार्यालय में आकर अनुरोध करना पड़ता है। सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के सेवा–सम्बन्धी प्रकरणों में विलम्ब के कारण कार्यालय की कार्यप्रणाली प्रश्नचिन्ह लगना भी स्वाभाविक है। अतः आपसे अपेक्षा है कि सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों से सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को निर्दिष्ट कर दे कि वे इस प्रकार के सेवा–सम्बन्धी प्रकरणों का अन्तिम निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 01 माह में किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि सम्बन्धित कार्मिक के अभिलेखों में कोई कमी/त्रुटि है तो पत्राचार करने के बजाय टेलीफोन से सम्पर्क कर त्रुटियों का निराकरण करा लिया जाय ताकि प्रकरण विलम्बित न हो।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है उक्त आदेशों का अनुपालन प्रभावी रूप से निर्धारित समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं विलम्ब होने पर उत्तरदायित्व भी निर्धारित करते हुए कार्यवाही कर ली जाय।

25/2/15

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया विभागाध्यक्ष कार्यालय में भी आदेशों का अनुपालन निर्धारित समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं विलम्ब होने पर उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग